न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 87 / 2021 राजस्व वाद

नरपत सिंह पुत्र श्री मांल सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी— दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) सेवानिवृत लान्स वफेदार नं. 10792637डी — वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश कुमार जैन — अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार सरकार — अधिवक्ता प्रतिवादी

दिनांक— 20 / 10 / 2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व वाद बाबत घौषणा के तहत इस आशय का पेश किया कि मै वादी लान्स वफेदार के पद से सेवानिवृत होकर सेवानिवृत भूतपूर्वक सैनिक हूॅ। मुझ वादी की पत्नी श्रीमती श्याम कंवर पत्नी श्री नरपत सिंह राजपूत को सरहद देवथड़ी पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 574 / 456 रकबा 05 बीघा भूमि आंवटन की गयी, जो राजस्व रेकार्ड मे वादी की पत्नी श्रीमती श्याम कंवर के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी। वादी जो कि भारतीय सेना सेवानिवृत फौजी होने से नियमानुसार सेवानिवृत फौजी फोजी कोटे से भूमि आंवटन की पात्रता रखने के कारण समस्त औपचारिकताए पूरी कर तत्कालीन उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा के समक्ष सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील माण्डल वर्तमान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष आराजी नम्बर 1543 मी मे से 14 बीघा भूमि आंवटन / नियमन हेतु आवेदनपत्र भी पेश किया गया। वादी की पत्नी श्रीमती श्याम कंवर के नाम पर आवंटित [illegible] ग्रामवासी देवथड़ी द्वारा परेशान करने व भूमि छुडाना चाहने के कारण , [illegible] कंवर द्वारा श्याम कंवर को आंवटित भूमि को छोडकर उक्त आराजी नम्बर 1543 मी [illegible] बीघा भूमि आंवटन चाहा गया व चूंकि उक्त आराजी नम्बर 1543 मी जो कि चारागाह भूमि दर्ज होने से चारागाह से बिलानाम संपरिवर्तन होने के बाद आवंटन करने का अधिकारीयो व कर्मचारीयो द्वारा विश्वास दिलाया गया। इसके पश्चात राजस्व अधिकारीयो द्वारा उक्त आराजी नम्बर 1543 मी मे से 14 बीघा भूमि को चारागाह से बिलानाम संपरिवर्तन कराने हेतु विधिवत प्रकिया अपनायी गयी व श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा द्वारा आदेश कमांक एफ 12—6(2) आरए / 2001 कार्यालय जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:39:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन

कलेक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 24/08/2001 के उक्त आराजी को बिलानाम आराजी दर्ज करने व बिलानाम आराजी नम्बर 148 रकबा 05 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 193 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि को चारागाह दर्ज की गयी व उक्त चारागाह आराजी नम्बर 1543 मी मे से 14 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 1637/1543 रकबा 14 बीघा कायम हुए, जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हो. तरमीम हो रखी है, जिस पर वादी का कब्जा एंव उपयोग..उपभोग चला आ रहा है। वादी की पत्नी श्रीमती श्याम कंवर के नाम पर सरहद देवथड़ी की आराजी नम्बर 574/456 रकबा 05 बीघा थी, जिसे भी उक्त आराजी नम्बर 1637/1543 रकबा 14 बीघा के आवंटन की एवज स्वरूप समर्पण कर दिया गया, जो बिलानाम सरकार हो नामान्तरणकरण संख्या 454 निर्णय दिनांक 10/06/2015 के दर्ज हो चुकी है। वादी का आराजी नम्बर 1637/1543 रकबा 14 बीघा पर निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम दर्ज है व वादी के नाम पर दर्ज नही होने से वादी के वैध हक अधिकारो का हनन हो रहा है। वादी सेवानिवृत फोजी है, जो कि उक्त भूमि की आवंटन की पात्रता रखता है। उक्त भूमि का वादी को आंवटन/नियमन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादी द्वारा दिनांक 29 उनतीस जून 2020 दो हजार बीस को भी श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश किया गया, जिसमे प्रतिवादी द्वारा जांच की गयी, जिसमे भी उक्त वर्णित तथ्य सही पाये गये व उक्त भूमि को वादी के नाम करने की अनुशंषा की गयी, लेकिन प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज करने से दिनांक 23 तैबीस अप्रेल 2021 दो हजार इक्कीस को इंकार कर सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने की हिदायत दी ..... आदि। अन्त मे प्रार्थना दर्ज करते हुए सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1637/1543 रकबा 14 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित का निवेदन किया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया। मामले मे निम्न विवाद्यक कायम किये गये–

1. कि आया वादी सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1637/1543 रकबा 14 बीघा भूमि वादी भूतपूर्व सैनिक को फोजी कोटे से एवं कि वादी की पत्नी की भूमि के समर्पण एवज मे दी गयी, जिस पर कब्जे मे दी गयी जिस पर वादी का विगत करीब 20 वर्षो से भी अधिक समय से निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग के आधार पर खातेदार काश्तकार घौषित होने व अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है ?

—बजिम्मे वादी

2. आया प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे मे उठाये गये एतराजात के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नही है ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:39:56 IST
Reason: SelfAttested

— बजिम्मे प्रतिवादी

3. अन्य अनुतोष–

वादी द्वारा मामले में स्वयं का व स्वतंत्र गवाह के शपथ पत्र पेश किये गये व वादी द्वारा जॉच रिपार्ट वास्ते कब्जा द्वारा तहसीलदार करेड़ा, आवंटन पत्रावली, समर्पणनामा, जिला कलक्टर

उपखंड अधिकारी पदेन

भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 12–6(2)आरए/2001 दिनांक 24.08.2001 ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र व जमाबदी नकल दस्तावेजात भी पेश किए गये।

पक्षकारान की ओर से बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया ।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , वादी जो कि फोज मे होना व उसकी पत्नी को भूमि आंवटन होने व आवंटित शुदा भूमि को वापस समर्पण करना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है व साथ ही तहसीलदार करेड़ा की जांच रिपोर्ट अनुसार एवं जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 12–6(2)आरए/2001 दिनांक 24.08.2001 उक्त भूमि की एवज मे वादी को सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1637/1543 रकबा 14 बीघा भूमि का कब्जा सिपुर्द करना व वादी का कब्जा होना प्रमाणित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: **आदेश** ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर वादी को सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1637/1543 रकबा 14 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज करायी जावे व मौका क़ब्जा अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम कराया जावें। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:39:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर /2021 राजस्व वाद
मुकदमा नम्बर /2021 राजस्व वाद
नरपत सिंह पुत्र श्री माल सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी– दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) सेवानिवृत लान्स वफेदार नं. 10792637डी

–– वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घौषणा

––––

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक .... को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1637/1543 रकबा 14 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घौषित किया जाता है व उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज करायी जावे व मौका कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम कराया जावें। इसी अनुसार निर्णय व डिकी की पालना हो। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करे।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदैन सहायक कलक्टर करेड़ा

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी

उपखंड अधिकारी पदैन सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 16:39:56 IST
Reason: SelfAttested